

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/195910-12

जयपुर,दिनांक: 5/11/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....जिला.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस.सामान्य अंतर्गत निम्नानुसार प्रत्याहरण/अति. आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-33
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101- विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से
[02]- एकीकृत बाल विकास योजना (केन्द्रीय सहायता/ राज्य निधि)

(राशि लाखों में)


क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	प्रत्याहर/ अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, बीकानेर शहर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	4.00	11.50
			राज्य निधि-अ	22.50	12.00	34.50
			राज्य निधि-ब	15.00	0.00	15.00
2	.. जयपुर द्वितीय	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	4.50	12.00
			राज्य निधि-अ	22.50	13.50	36.00
			राज्य निधि-ब	15.00	0.00	15.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
3	.. टोंक शहर	03. यात्रा व्यय	केन्द्रीय सहायता	0	0.05	0.05
			राज्य निधि	0	0.15	0.15

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

  
वित्तीय सलाहकार  
जयपुर,दि: 5/11/18

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/195913-16  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (संबंधित)
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार